**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4060**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**पीएमजीकेवाई के अंतर्गत कम धन संग्रहण**

4060. **श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में काले धन और जाली मुद्रा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत 55 लाख करोड़ रुपये के संग्रहण की उम्मीद थी परंतु उसका वास्तविक संग्रहण 5 लाख करोड़ रुपये ही रहा;

(ग) यदि हां, तो इसमें आयकर विभाग कहां पर असफल रहा और ऐसे आकलन के आधार क्या

थे;

(घ) क्या आयकर निर्धारकों द्वारा उत्पीड़न और पीएमजीकेवाई में जबरन जमा कराए जाने के दृष्टांत

मंत्रालय के संज्ञान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आयकर अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई

की गई है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

(क): देश में काले धन के संग्रह के प्रतिहार के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। इस बारे में हाल ही में की गई मुख्य पहलें इस प्रकार है:-

(i) काले धन के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायधीशों की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन।

(ii) विदेशों में जमा किए गए काले धन की समस्या से कारगर रूप से निपटने के लिए व्यापक कानून, काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियां) एवं कर अधिरोपण अधिनियम 2015, का अधिनियमन जोकि 01.07.2015 से लागू हो गया है। ।

(iii) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के आशय से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन, ताकि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बेनामी संपत्ति की जब्ती एवं बेनामीदार एवं लाभार्थी स्वामी पर मुकदमा चलाया जा सके।

(iv) पनामा पेपर लीक एवं हाल ही के पेराडाइज पेपर खुलासों के पर्दाफाश की जांच के लिए सीबीडीटी, रिजर्व बैंक, ईडी एवं एफआईयू (वित्तीय खुफिया जांच इकाई) के अधिकारियों वाले बहुएजेंसी ग्रुप का गठन।

(v) नोटबंदी के संदर्भ एवं इस नोटबंदी अवधि के दौरान नकदी लेनदेन पर सूचना के संग्रह, सुमेलन एवं इसकी समीक्षा के लिए 31 जनवरी, 2017 से प्रारंभ किए ‘‘स्वच्छ धन अभियान,’’ से संबंधित कार्रवाइयां।

नकली नोटों के नियंत्रण हेतु, नकली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए समय-समय पर सुरक्षा उपाय मजबूत किए गए हैं। नकली-नोटों की रोकथाम की समस्या से निपटने के लिए, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्र व राज्यों की सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियां साथ मिलकर काम करती हैं ताकि एफआईसीएन से जुड़ी अवैध गतिविधियों को असफल/नाकाम किया जा सके। गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन दल का गठन किया गया ताकि अधिक छापेमारी के क्रम में समस्या के निदान हेतु, केंद्र व राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां आपस में सूचना/खुफिया सूचना साझा कर सकें। इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय बहुस्तरीय मंच पर भी निरंतर उठाया जाता रहा है।

(ख) और (ग): पीएमजीकेवाई को नोटबंदी के परिणामस्वरूप प्रारंभ किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों को, जिनके पास अघोषित धन है, को अवसर दिया गया था कि वे दंड के साथ कर दे दें और पाकसाफ हो जाएं, जिससे सरकार को न केवल गरीबों के कल्याण के कार्य करने के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा अपितु यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि घोषित किया गया धन, विधि-सम्मत रूप से अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। अत: पीएमजीकेवाई का आधारिक उद्देश्य, अघोषित आय वाले व्यक्तियों को पाकसाफ होने का अवसर देना था। इस तरह पीएमजीकेवाई के अंतर्गत संग्रह से संबंधित अनुमान नहीं लगाए गए थे।

(घ) और (ड.): मंत्रालय के ध्यान में ऐसे कोई दृष्टांत नहीं आए हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*